



Committees of the Constitution (संविधान की समितियाँ)

Join SelectionWay GS Channel

Join SelectionWay GS Channel

Shubham Gupta Sir

संविधान सभा के प्रमुख समितियाँ

22 समितियाँ



8 प्रमुख समितियाँ

क्र. एवं समिति	अध्यक्ष
1. प्रारूप समिति	डॉ. बी. आर. अंबेडकर
2. संघ शक्ति समिति	पंडित जवाहरलाल नेहरू
3. संघीय संविधान समिति	पंडित जवाहरलाल नेहरू
4. प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
5. मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय क्षेत्र समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
6. प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
7. राज्यों से समझौता समिति	पंडित जवाहरलाल नेहरू
8. संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद



14 छोटी समितियाँ

- ✓ राष्ट्रीय ध्वज समिति: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- ✓ वित्त एवं कर्मचारी समिति: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- ✓ संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति: जी. वी. मावलंकर
- ✓ सर्वोच्च न्यायालय समिति: एस. वरदाचारी (सभा के सदस्य नहीं)
- ✓ मौलिक अधिकार उप-समिति: जे. बी. कृपलानी
- ✓ अल्पसंख्यक उप-समिति: एच. सी. मुखर्जी
- ✓ असम जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति: गोपीनाथ बारदोलोई
- ✓ कार्य संचालन समिति: डॉ. के. एम. मुंशी

प्रारूप समिति

- गठन (Formation) → 29 अगस्त 1947
- उद्देश्य (Objective) → संवैधानिक सलाहकार (सर बी.एन. राव) द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारंभिक मसौदे पर विचार करना और उसे अंतिम रूप देना।
 - प्रथम बैठक → 30 अगस्त 1947
 - कुल बैठकें → 141 दिन
 - पहला प्रारूप का प्रकाशन → 21 फरवरी 1948
 - दूसरा प्रारूप → अक्टूबर 1948
 - अंतिम प्रारूप → 4 नवंबर 1948
- अंतिम स्वीकृति → 26 नवंबर 1949
 - अनुच्छेद 393 में संविधान का 'संक्षिप्त नाम' (Short Title) दिया गया है, जो कहता है: "इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान (The Constitution of India) होगा।" 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में इस नाम और प्रस्तावना वाले भाग पर अंतिम रूप से चर्चा हुई थी।
- समिति के सदस्य (कुल 7 सदस्य)
 - अध्यक्ष → डॉ. बी.आर. अंबेडकर
 - एन. गोपालस्वामी आयरंगर
 - अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
 - डॉ. के.एम. मुंशी
 - सैयद मोहम्मद सादुल्लाह (मुस्लिम लीग)
 - एन. माधव राव (इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था।)
 - टी.टी. कृष्णामाचारी (इन्होंने 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनका स्थान लिया था।)

तीन चरण या 'वाचन'

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर, 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। सभा में इस पर पांच दिन (9 नवंबर, 1948 तक) आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर, 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इस अवधि में कम-से-कम 7635 संशोधन प्रस्ताव आये, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुयी। कुल सत्रों की अवधि 165 दिन थी, जिसमें से 114 दिन ट्राफ्ट पर बहस के लिए समर्पित थे।

प्रथम वाचन	द्वितीय वाचन	तृतीय वाचन
4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948	15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ▶ प्रत्येक खण्ड पर व्यापक विचार विमर्श ▶ 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 संशोधनों पर सदन में चर्चा हुई	14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ▶ डॉ. भीमराव अंबेडकर → The Constitution as settled by the Assembly be passed ▶ 26 नवंबर 1949 → अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित ▶ 26 जनवरी 1950 को लागू → गणतंत्र दिवस

संविधान सभा की अंतिम बैठक → 24 जनवरी, 1950

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद → भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव
- संविधान सभा का 'अंतरिम संसद' में परिवर्तन
 - राष्ट्रीय गान → 'जन-गण-मन'
 - लेखक → गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर।
 - मूल भाषा → बंगाली (मूल गीत में 5 पद)
 - पहली बार गाया गया → 27 दिसंबर 1911 (कलकत्ता अधिवेशन)
 - गाने का समय → 52 सेकंड
 - संक्षिप्त संस्करण → 20 सेकंड
 - Prevention of Insults to National Honour Act, 1971

- मामला → बिजॉय इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986)
- 1919 में रवींद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश में इसका अंग्रेजी अनुवाद "द मॉर्निंग सॉन ऑफ इंडिया" के शीर्षक से किया था।
- 3. राष्ट्रीय गीत → 'वंदे मातरम्'
- रचयिता (लेखक) : बंकिम चंद्र चटर्जी
- मूल स्रोत : 'आनंदमठ' (1882 - संन्यासी विद्रोह)
- प्रथम गायन : 1896 (कलकत्ता अधिवेशन)
- रवींद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया
- गायन की अवधि : 65 सेकंड (1 मिनट 5 सेकंड)।
- अंग्रेजी अनुवाद : श्री अरविंदो
- 1905 के बंग-भंग (स्वदेशी)
- 5. कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य
- पहले जवाहरलाल नेहरू और अंत में फिरोज गांधी के हस्ताक्षर माने जाते हैं, जबकि डॉ. राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर सबसे ऊपर थे।

महत्वपूर्ण तथ्य

1. राष्ट्रीय ध्वज → 22 जुलाई, 1947
 - मूल डिज़ाइन → आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक पिंगली वेंकैया
2. राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन → मई 1949
3. समय → 2 वर्ष, 11 माह और 18
 - कुल 11 सत्र
 - लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन
 - कुल खर्च → ₹63,96,729
4. दो मूल प्रतियाँ → एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी में।
 - संरक्षण → संसद भवन लाइब्रेरी (नई दिल्ली)
 - नाइट्रोजन गैस से भरे विशेष शीशे के बक्सों
5. सुलेख (Calligraphy)
 - हिंदी संस्करण → वसंत कृष्ण वैद्य
 - अंग्रेजी संस्करण → प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (Flowing Italic Style)
6. चित्रकारी और सजावट → शांतिनिकेतन के कलाकार
 - चित्रकार → नंदलाल बोस (Nandalal Bose)
 - प्रस्तावना → ब्योहर राममनोहर सिन्हा
7. संविधान सभा प्रतीक (मुहर) → हाथी
8. 26 नवंबर 1949 → अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित
 - अंगीकृत (Adopt) → स्वीकार करना या अपनाना।
 - अधिनियमित (Enact) → सर्वोच्च कानून के रूप में मान्यता
 - आत्मार्पित (Give to ourselves) → भारत की जनता ने खुद इसे बनाया है और खुद को ही इसके अधीन किया है।
 - प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ

राष्ट्रीय ध्वज → डॉ. राजेंद्र प्रसाद

- स्वीकृति की तिथि → 22 जुलाई 1947
- ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात → 2:3
- अशोक चक्र → 24 तीलियाँ
- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 → संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान
- भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code of India 2002)
- नवीन ज़िंदल मामला (23 जनवरी 2004, सुप्रीम कोर्ट, वी.एन. खरे) → आदर और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)

ध्वजारोहण (Flag Hoisting): झंडे को नीचे से रस्सी खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर खोला जाता है।

देश के प्रधानमंत्री

लाल किला, नई दिल्ली

15 अगस्त 1947: प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
16 अगस्त 1947: लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ ने शहनाई वादन किया।

गणतंत्र (26 जनवरी)

ध्वज फहराना (Flag Unfurling): झंडा पहले से ही पोल के शीर्ष पर बंधा होता है और उसे केवल खोला जाता है,।

देश के राष्ट्रपति (21 तोपों की सलामी)

कर्तव्य पथ, नई दिल्ली

- रक्षा मंत्रालय
- पहला (1950) : इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो।
- दूसरा : नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह।

प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा हमारा संविधान

दुनिया के सबसे बड़े भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी गई है।



हमारे संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया।

संविधान की मूल अंग्रेजी प्रति कैलिग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी है।

संविधान की हिंदी प्रति वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी



संविधान की हिंदी प्रति में 264 पन्ने हैं, जिसका वजन 14 किलोग्राम है।

इसका कागज हैम्ब्रेड पेपर रिसर्च सेंटर, पुणे में बना है।

हिंदी प्रति कैलिग्राफर वसंत कृष्ण वैद्य ने हाथ से लिखी है।

संविधान की मूल प्रति का वजन 13 किलो



संविधान की पांडुलिपि 45.7 cm x 58.4 cm के पार्चमेंट* कागज पर लिखी गई।

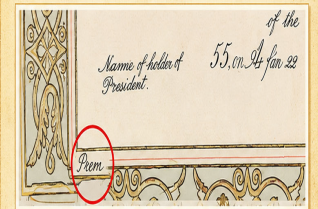
यह कागज इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से मंगवाया गया था।

इस पांडुलिपि में 233 पन्ने हैं, जिसका वजन 13 किलोग्राम है।

संविधान की पांडुलिपि चमड़े की काली जिल्द में है, जिस पर सोने की कारीगरी है।

* सेल्यूलोज आधारित पार्चमेंट कागज को विशेष उपचार से तैयार किया जाता है।

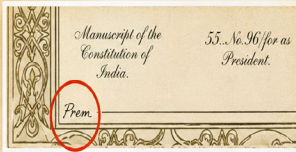
हर पन्ने पर नाम लिखने की शर्त पर मुफ्त में लिखा संविधान



तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी से इटैलिक शैली में संविधान लिखने का अनुरोध किया था।

प्रेम बिहारी ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली। उन्होंने हर पन्ने पर अपना नाम और अंतिम पन्ने पर अपने गुरु एवं दादा मास्टर राम प्रसादजी सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी थी।

हर पन्ने पर नाम लिखने की शर्त पर मुफ्त में लिखा संविधान



तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी से इटैलिक शैली में संविधान लिखने का अनुरोध किया था।

प्रेम बिहारी ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली। उन्होंने हर पन्ने पर अपना नाम और अंतिम पन्ने पर अपने गुरु एवं दादा मास्टर राम प्रसादजी सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी थी।

संविधान जिस कमरे में लिखा गया, वह संविधान क्लब बना



प्रेम बिहारी को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में एक कमरा दिया गया, जो बाद में संविधान क्लब हो गया।

संविधान को हाथ से लिखने में 6 महीने लगे थे।

राष्ट्रपति का भी अपना अलग झंडा था



सिंहस्तंभ एकता का, कमल कला समृद्धि का, हाथी धैर्य और शक्ति का और तराजू अर्थव्यवस्था और न्याय का प्रतीक था।

1971 में राष्ट्रपति ने भी तिरंगे झंडे को अपना लिया।

26 जनवरी 1950 से 1971 तक भारत के राष्ट्रपति का अलग झंडा था।

इस पर सारनाथ का सिंहस्तंभ और कमल कला, अजंता गुफाओं का हाथी और लाल किले के तराजू की तस्वीरें थीं।

26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में गवर्नर जनरल का झंडा उतारकर राष्ट्रपति का झंडा फहराया गया।

नाइट्रोजन के दो चैंबर में रखी हैं संविधान की दोनों मूल कॉपी



GCI ने 180cm*180cm*305cm के तीन सील बंद बॉक्स बनाए। इनमें से दो को मार्च 1994 को कैलिफोर्निया से नई दिल्ली भेजा।

बॉक्स में 40-50% नमी के साथ नाइट्रोजन रहती है। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा 1% से ज्यादा नहीं होती।

सीलिंग की जबरदस्त तकनीक के बाद भी दोनों बॉक्स में हर सात महीने में 5 cubic cm ऑक्सीजन दाखिल हो जाती है।

इससे निपटने के लिए दोनों बॉक्स में ऐसे केमिकल रखे गए हैं जो ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं।

आखिर अमेरिकी कंपनी की मदद लेनी पड़ी



नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL ने इसके लिए अमेरिका के संविधान के लिए बनाए गए खास हीलियम वाले चैंबर जैसे बॉक्स का मॉडल भेजा।

कई कोशिशों के बाद हीलियम गैस लीक होना बंद नहीं हुई। NPL ने अपने वैज्ञानिक हरि किशन को फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी से मदद लेने पेरिस भेजा।

नवंबर 1992 में NPL ने अमेरिका की गेट्टी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट (GCI) से मदद ली।

GCI मित्र में मिली ममी को ऐसे ही नाइट्रोजन बॉक्स में संरक्षित कर चुकी है।

1985 से शुरू हुई मूल कॉपी बचाने की कवायद

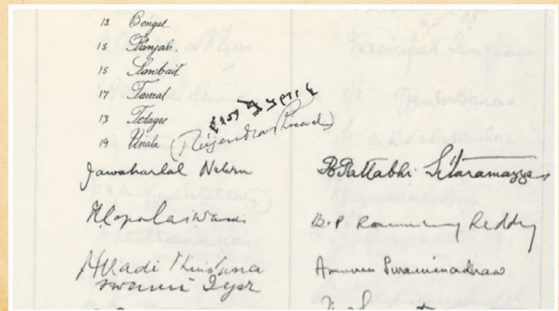


संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी और हिंदी कॉपी को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए पार्लियामेंट लाइब्रेरी ने 1985 के बाद लखनऊ में नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी से संपर्क साधा। अगर बात बनी नहीं।

इसके बाद पार्लियामेंट लाइब्रेरी की गुजरािश पर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी (NPL) ने अक्रिय गैसों वाले कांच के सील चैंबर विकसित करना शुरू किए।



इस वजह से संविधान में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के तिरछे हस्ताक्षर हैं



संविधान सभा की प्रमुख आलोचनाएँ

1 प्रतिनिधि निकाय नहीं (Not a Representative Body)



यह सभा आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई नहीं थी।

2 संप्रभुता का अभाव (Lack of Sovereignty)



यह सभा ब्रिटिश संसद की शक्ति से संप्रभु नहीं थी।

3 कांग्रेस का प्रभुत्व (Dominated by Congress)



इस सभा पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण प्रभुत्व था।

4 समय की बर्बादी (Time Consuming)



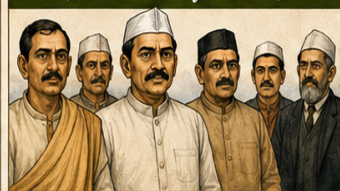
इसने बहुत अधिक समय लिया, जबकि देश को तत्काल आवश्यकताएँ थीं।

5 वकीलों और राजनीतिज्ञों का वर्चस्व (Lawyer-Politician Domination)



इस सभा में वकीलों और राजनीतिज्ञों का वर्चस्व रहा, आम जनता की आवाज कम सुनी गई।

6 मुख्य रूप से हिंदुओं का प्रभुत्व (Dominated by Hindus)



इस सभा में मुख्य रूप से हिंदू समुदाय का प्रभुत्व था, अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व कम था।

7 "उधार का थैला" या 'पैचवर्क' होने की आलोचना (A Bag of Borrowing)



इस पर विभिन्न देशों के संविधानों से उधार लेने और 'पैचवर्क' होने का आरोप लगाया गया।

भारतीय संविधान: प्रमुख कथन और विचार

‘गांधीजी का सुझाव: कांग्रेस का विघटन’



भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिए जाने का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था।

सर आइवर जेनिंग्स: अल्पसंख्यकों की अनदेखी



"अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आँका है।"
- सर आइवर जेनिंग्स

डॉ. राजेंद्र प्रसाद: संविधान और मानवता



"एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूँकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है" - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

मौलाना आजाद: वयस्क मताधिकार का स्थगन



"संविधान सभा में वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी।"